हरपाल सिंह Vs मोहनसिंह

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश 112/2013
24/1/14	वकील वादी उपस्थ साक्ष्य वादी आज भी अनुपस्थित, वकील वादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने पर पेश करने में असफल रहे है। अतः साक्ष्य वादी बंद की जाती है। चूंकि प्रकरण में साक्ष्य वादी बंद हो चुकी है। वादी वाद को सम्पुष्ट करने में असफल रहे है। अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। मिसल अपने नस्ल से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
डायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner